ELECTION URGENT

E-MAIL

राजस्थान सरकार
निर्वाचन विभाग

क्रमांकः एफ 1(7)सी/इलेक/2018/11176 जयपुर, दिनांकः– 26 .11.18

प्रेषकः मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर

प्रेषितः समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी
(कलक्टर) राजस्थान

विषयः– आगामी विधानसभा आम चुनाव, 2018 – मतदान केन्द्रों में निर्वाचकों की पहचान ।

प्रसंग :– भारत निर्वाचन आयोग की आदेश संख्या 3/4/आई0डी0/ई0सी0आई0/प्रकार्या/न्यायिक/एसडीआर/खंड ।।/2018 दिनांक 01 नवम्बर, 2018

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक आदेश द्वारा आयोग ने आगामी विधानसभा आम चुनाव – 2018 के दौरान मतदान केन्द्रो पर मतदान से पूर्व अपनी पहचान सुनिश्चित करने हेतु जो निर्वाचक मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नही कर पातें हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए प्रासंगिक आदेश में उल्लेखित 12 प्रकार के अन्य वैकल्पिक दस्तावेज में से कोई एक फोटो पहचान दस्तावेज प्रस्तुत करना पड़ेगा । (प्रति संलग्न)

अतः प्रासंगिक आदेशों की प्रति संलग्न कर निवेदन है कि आगामी विधानसभा आम चुनाव, 2018 के दौरान समस्त मतदान दलों के बैग्स में उपरोक्त आदेशों की 1–1 प्रति की उपलब्धता सुनिश्चित करानें का श्रम करें ।

कृपया पत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कराते हुए पत्र की पावती भिजवानें का श्रम करें ।

संलग्न– उपरोक्तानुसार

भवदीय

www.rajteachers.com

उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान , जयपुर

क्रमांकः एफ 1(7)सी/इलेक/2018/7432 जयपुर, दिनांकः– .11.18

प्रतिलिपिः–1.निजी सचिव, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राज0, जयपुर ।
2.अतिरिक्त निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राज0, जयपुर ।
3.प्रभारी, सामान्य शाखा, प्रथम।

उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110 001

सं. 3/4/आईडी/ई0सी0आई/प्रकार्या/न्यायिक/एसडीआर/खंड–II/2018दिनांक: 01नवम्बर, 2018

आदेश

विषयः-छत्तीसगढ, मध्यप्रदेश, राजस्थान, मिजोरम एवं तेलंगानाविधान सभाओं के आगामी साधारण निर्वाचन-मतदान केन्द्रों में निर्वाचकों की पहचान।

1. यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 61 में यह उपबंधित है कि निर्वाचकों के प्रतिरूपण का निवारण करने की दृष्टि से, ताकि उक्त अधिनियम की धारा 62 के अधीन वास्तविक निर्वाचकों के मत देने के अधिकार को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके, उक्त अधिनियम के अधीन नियमों द्वारा मतदान के समय निर्वाचकों की पहचान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निर्वाचकों के लिए निर्वाचक फोटो पहचान पत्र के प्रयोग हेतु उपबंध बनाए जा सकते है;तथा

2. यतः, निर्वाचकों का रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 का नियम 28 निर्वाचन आयोग को, इस दृष्टि से कि निर्वाचकों के प्रतिरूपण का निवारण हो सके तथा मतदान के समय उनकी पहचान को सरल बनाया जा सके, निर्वाचकों को राज्य की लागत पर फोटोयुक्त निर्वाचक फोटो-पहचान पत्र जा-री करने के लिए निर्देश देने की शक्ति प्रदान करता है ; तथा

3. यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 49 ज (3) और 49 ट (2) (ख) में यह उपबंधित है कि जहॉ किसी निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचकों को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 28 के उक्त उपबंधों के अधीन निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र दिये जाते हैं, निर्वाचकों को मतदान केन्द्र में अपना निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र दिखाना होगा तथा उनके द्वारा निर्वाचक फोटो पहचान पत्रों को नहीं दिखाए जाने व असमर्थ होने पर उन्हें मत डालने की अनुमति देने से इन्कार किया जा सकता है ; तथा

4. यतः, उक्त अधिनियम और नियमों के उपर्युक्त उपबंधों को मिलाकर एवं सामंजस्यपूर्ण ढंग से उनके अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि यद्यपि मत देने का अधिकार निर्वाचक नामावली में नाम के होने से ही होता है, यह निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य की लागत पर, मतदान के समय उनकी पहचान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रदान करवाए गए निर्वाचक फोटो पहचान पत्र के प्रयोग पर भी निर्भर करता है, तथा दोनों को एक साथ प्रयोग करना होता है,

5. यतः, निर्वाचन आयोग ने एक समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार सभी निर्वाचकों को निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र (ईपीआईसी) जारी करने का निदेश देते हुए 28 अगस्त, 1993 को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम,1960 के नियम 28 के अधीन एक आदेश जारी किया है ; तथा

www.rajteachers.com

6. **छत्तीसगढ, मध्यप्रदेश, राजस्थान, मिजोरम एवं तेलंगाना**राज्योंके निर्वाचकों को काफी हद तक उच्च प्रतिशत में निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किए जा चुके हैं, तथा

7. यतः, इसके अलावा, आयोग ने यह आदेश दिया है कि आगामी साधारण निर्वाचन की मतदान तिथि से पूर्व निर्वाचन प्राधिकारियों द्वारा मतदाताओं को **'प्रमाणिक फोटो मतदाता पर्ची'**बांटी जाएंगी ;

8. अतः, अब, सभी संबद्ध कारकों तथा विधिक एवं तथ्यात्मक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, निर्वाचन आयोग, एतद्द्वारा, यह निदेश देता है कि **छत्तीसगढ मे 16.10.2018 एवं 26.10.2018 को अधिसूचित,मध्यप्रदेशमे 02.11.2018 को अधिसूचित होने वाले, राजस्थान मे 12.11.2018 को अधिसूचित होने वाले, मिजोरममे 02.11.2018 को अधिसूचित होने वाले तेलंगाना 12.11.2018 को अधिसूचित होने वाले**राज्य विधान सभाओं के आगामी साधारण निर्वाचन के लिए सभी मतदाता जिन्हें निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किए गए हैं, मतदान केन्द्रों पर मत डालने से पहले अपनी पहचान सुनिश्चित करने हेतु अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र दिखाएंगे। ऐसे निर्वाचक जो अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उन्हे अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निम्नलिखित वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना पड़ेगाः-

(i) पासपोर्ट

(ii) ड्राइविंग लाइसेन्स,

(iii) राज्य पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा ,के उपक्रम सार्वजनिक क्षेत्र ,केन्द्र सरकार / अपने कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त सेवा पहचान,पत्र-

(iv) बैंको डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक

(v) पैन कार्ड,

(vi) आरजीआई एवं एनपीआर द्वारा जारी कि गए स्मार्ट कार्ड,

(vii) मनरेगा जॉब कार्ड,

(viii) श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड,

(ix) फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज

(x) निर्वाचन तंत्र द्वारा जारी प्रमाणिक फोटो मतदाता पर्ची ,

(xi) सांसदोंको जारी किए गए सरकारी पहचान पत विधान परिषद् सदस्यों / विधायकों ,; और

(xii) आधार कार्ड।

9. ई.पी.आई.सी. के संबंध में, लेखन अशुद्धि, वर्तनी की अशुद्धि इत्यादि को नजरअंदाज कर देना चाहिए बशर्ते मतदाता की पहचान ईपीआईसी से सुनिश्चित की जा सके । यदि कोई मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रदर्शित करता है, जो कि किसी अन्य विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर द्वारा जारी किया गया है, ऐसे ईपीआईसी भी पहचान स्थापित करने हेतु स्वीकृत किए जांएगे बशर्ते निर्वाचक का नाम जहॉ वह मतदान करने आया है उस मतदान केन्द्र से संबंधित निर्वाचक नामावली में उपलब्ध होना चाहिए। यदि फोटोग्राफ इत्यादि के बेमेल होने के कारण मतदाता की पहचान सुनिश्चित करना संभव न हो तब मतदाता को उपर्युक्त पैरा 8 में वर्णित किसी एक वैकल्पिक फोटो दस्तावेज को प्रस्तुत करना होगा।

10. उक्त पैरा 8 में किसी बात के होते हुए भी, प्रवासी निर्वाचक जो अपने पासपोर्ट में विवरणों के आधार पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20क के अधीन निर्वाचक नामावलियों में पंजीकृत हैं, उन्हें मतदान केन्द्र में उनके केवल मूल पासपोर्ट (तथा कोई अन्य पहचान दस्तावेज नहीं) के आधार पर ही पहचाना जाएगा।

आदेश से,

www.rajteachers.com

(के.एफ विल्फ्रैड)
वरिष्ठप्रधानसचिव